



भारत सरकार /Government of India
खान मंत्रालय/Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो /Indian Bureau of Mines



File No. A-22011/1/2024-Rectt.

Nagpur, dated : 01.01.2026

CIRCULAR

All the Divisional/Zonal/Regional/Sectional/RMPL Heads of IBM are hereby informed that it has been decided to call applications for transfer from officers/officials of IBM for the year 2026 under following three categories :-

- (a) Group 'A', 'B' & 'C' officers/officials who are willing to be transferred from one station to another on their own cost – They should clearly mention "**OWN COST**" in their application.
- (b) Group 'A', 'B' & 'C' officers/officials who have completed their residency periods as mentioned in Transfer Policy of Group 'A' & 'B' (Gazetted) and Group 'B'(NG) & 'C' (Non-Gazetted posts) available in IBM's website.
- (c) Group 'A', 'B' & 'C' officers/officials who want transfer from North Eastern Region and to North Eastern Region as per the instructions prescribed by the Government in this regard.

02. The applications for transfer should be forwarded by the Controlling Officers alongwith their specific recommendations with proper reasons for recommending the officers/officials for transfer in respect of Group 'A', 'B' & 'C' officers/officials working under them to the Head of Office, IBM, HQ, Nagpur **within 15 days** from the date of issue of this Circular in the prescribed format as enclosed herewith. Applications if any received without the specific recommendations alongwith reason of Controlling Officer will not be entertained at any cost and shall be rejected straight away by the Committee itself.

03. Further, the Controlling Officers are requested to examine the applications prior to forwarding the same to IBM(HQ) and it may be ensured that the transfer application invariably contains specific recommendations to the effect that whether the transfer application is made in '**PUBLIC INTEREST**' or '**OWN COST**'.

All previous applications received for transfer prior to issue of this circular shall become infructuous.

This issues with the approval of Controller General, IBM.

Encl. : As stated.

Digitally signed by
PRASHANT S HEGDE
Date: 01-01-2026
10:01:01

(प्रशांत एस. हेगडे)
अधीक्षण खनन भूविज्ञानी एवं
कार्यालय अध्यक्ष
Email: ho-office@ibm.gov.in
Telefax: 0712-2565333

To :

1. All the Divisional/Zonal/Regional/MMPL/RMPL and Sectional Heads of IBM.
2. OIC, MTS, IBM, Nagpur for uploading of this circular in IBM Website.

P.T.O. for Hindi version

APPLICATION FOR TRANSFER

1.	Name & designation of Officer/Official	
2.	Present station of posting	
3.	Date since posted at the present station	
4.	(a) Choice of station of posting (in chronological order (i)(ii)(iii) in case of transfer in " public interest ")	(i) (ii) (iii)
	(b) Choice of station of posting in case of transfer at " own cost ")	(i) (ii) (iii)
5.	How many years of service left	
6.	No. of previous transfers	
7.	Reasons in chronological order (i)(ii)(iii)	
8.	Remarks, if any	

Signature of the applicant

Recommendations of the Controlling Officer

Signature of Controlling Officer

Note :- Only one para at 4(a) or 4(b) shall be completed.



भारत सरकार /Government of India
खान मंत्रालय/Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो /Indian Bureau of
Mines



संख्या: ए-22011/1/2024-भर्ती

नागपुर, दिनांक :01.01.2026

परिपत्र

भारतीय खान ब्यूरो के सभी प्रभाग / आंचलिक / क्षेत्रीय कार्यालयों / अनुभाग / खनिज प्रसंस्करण के प्रमुखों को सूचित किया जाता है, कि वर्ष 2026 हेतु निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों से स्थानांतरण के लिए आवेदन मंगाने का निर्णय लिया गया है :-

(क) समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के वैसे अधिकारी/कर्मचारी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए अपने व्यय पर जाने को इच्छुक हैं। ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने आवेदन पर स्पष्ट रूप से "स्वयं के व्यय पर" दर्शाना होगा।

(ख) समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के वैसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने भारतीय खान ब्यूरो के वेबसाइट पर उपलब्ध समूह 'क' एवं 'ख' (राजपत्रित) तथा समूह 'ख'(अराजपत्रित) और 'ग' के स्थानांतरण नीति में उल्लिखित अपनी तैनाती अवधि पूरी कर ली है।

(ग) समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के वैसे अधिकारी /कर्मचारी जो इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित अनुदेशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र से स्थानांतरण चाहते हैं।

02. समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में स्थानांतरण हेतु उनके नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विशिष्ट सिफारिशों के साथ जिसमें उक्त अधिकारी/कर्मचारी के स्थानांतरण को सिफारिश किस कारण से किया जा रहा है को स्पष्ट रूप से लिखते हुए संलग्न निर्धारित प्रपत्र में इस परिपत्र के जारी होने के **15 दिनों** के भीतर कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर को अग्रेषित किया जाना चाहिए। यदि कोई आवेदन नियंत्रण अधिकारी के कारण सहित विशिष्ट सिफारिशों के बिना प्राप्त होता है तो उसपर किसी भी हालत में विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकृत समिति द्वारा ही कर दिया जाएगा।

03. आगे, नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर को अग्रेषित करने के पूर्व आवेदनों की भलि - भांति जांच कर ले और यह सुनिश्चित कर ले, कि स्थानांतरण हेतु आवेदन में विशिष्ट सिफारिश है तथा साथ ही आवेदन 'जनहित' में अथवा 'अपने व्यय' पर है।

इस परिपत्र के जारी होने के पहले स्थानांतरण हेतु प्राप्त सभी पूर्व आवेदन निरस्त हो जाएंगे।

इसे महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
PRASHANT S HEGDE
Date: 01-01-2026

(प्रशांत एस:हेगडे)

अधीक्षण खनन भूविज्ञानी एवं
कार्यालय अध्यक्ष

Email: ho-office@ibm.gov.in
Telefax: 0712-2565333

प्रति : -

1. भारतीय खान ब्यूरो के सभी प्रभाग/आंचलिक/ क्षेत्रीय कार्यालयों / अनुभाग / खनिज प्रसंस्करण के प्रमुख।
2. प्रभारी अधिकारी, एमटीएस, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को यह परिपत्र आई. बी. एम. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।